

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय, भोपाल के कार्यालय उपयोग की परिवहन व्यवस्था हेतु निविदा दस्तावेज में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत **इनोवा/अर्टिगा** वाहन किराये पर लेने हेतु अनुभवी, प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से निविदायें आमंत्रित की जाना है। उक्त निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **06.11.2025 को सायं 05:00 बजे** तक है। सील बंद निविदायें समस्त दस्तावेज सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को संबोधित करते हुये **जिला रजिस्ट्रार कार्यालय** जिला न्यायालय भोपाल में जमा करें अथवा ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

उक्त प्राप्त निविदायें दिनांक **07.11.2025 को सायं 05:00 बजे** अधिकृत कमेटी के समक्ष खोली जावेगी। सील बंद अथवा ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में से न्यूनतम राशि की प्रस्तुत निविदा पर अधिकृत कमेटी द्वारा विचार में लिया जावेगा।

उक्त निविदा संबंधी विस्तृत दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट www.mphec.gov.in एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाइट <https://bhopal.dcourts.gov.in/#tenders> तथा गर्वमेंट ई-टेंडर पोर्टल www.tenders.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल म.प्र.

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)

वित्तीय निविदा फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रुचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था/कंपनी द्वारा निम्न प्रारूप में वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जानी है।

मासिक दर (प्रति वाहन)-अधिकतम रुपये 35,500/- अथवा इससे कम

(इनोवा/अर्टिगा वाहन के किराए की दर)

स.क्र.	विवरण	मासिक दर (प्रति वाहन)
1	वाहन एवं ड्राइवर की प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्धता (पेट्रोल/डीजल/सीएनजी सहित)	

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)

तकनीकी निविदा फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रुचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था /कंपनी द्वारा निम्न जानकारी की पूर्ति की जानी है।

(दस्तावेज संलग्न करें)

स.कं.	शीर्षक	विवरण	दस्तावेज (संलग्न है अथवा नहीं)
1	निविदाकर्ता का नाम तथा पता (फोन नंबर, ई-मेल एवं पंजीयन क्रमांक के साथ उल्लेख करें)		
2	व्यवसाय का प्रकार		
3	जीएसटी पंजीयन संबंधित विवरण एवं नवीनतम जीएसटी रिटर्न		
4	निविदाकर्ता का आयकर पेन (PAN) नंबर गत तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24)		
5	निविदाकार का स्वयं के वाहन न होने की दशा में वाहन के पंजीकृत स्वामी के साथ निविदाकार द्वारा वाहन को किराये पर लिये जाने की स्वीकृति वाला अनुबंध पत्र		
6	वाहन के वास्तविक स्वामी की जानकारी (वाहन क्रमांक, नाम व पूर्ण पता)		
7	आर.टी.ओ. से संबंधित दस्तावेज		
8	टैक्स		
9	बीमा		
10	पूर्व में किसी संस्था/कंपनी को किराये पर वाहन उपलब्ध करवाने संबंधी जानकारी (संस्था का नाम, पता तथा समयावधि जिसके लिये वाहन किराये पर प्रदाय किया गया)		


नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

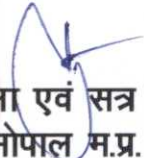
कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा की शर्तें

- 1- इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव दो-निविदा प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसमें पहला लिफाफा तकनीकी निविदा एवं दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा का होगा। दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किये जावेंगे। तकनीकी निविदा में पात्र निविदाकर्ताओं के वित्तीय निविदा पर विचार किया जावेगा।
- 2- अनुबंधित वाहन अच्छी कंडीशन में एवं 02 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन साफ-सुथरा एवं सही हालत में रखा जाना होगा। जिसमें आवश्यक सीट कवर, पर्दे एवं अन्य सहायक उपकरण की उपलब्धता संविदाकार द्वारा की जावेगी।
- 3- अनुबंधित वाहन की कीमत 10,00,000/- से अधिक होना अनिवार्य होगा।
- 4- वाहन प्रतिमाह निर्धारित दर राशि रुपये 35,500/- अथवा इससे कम राशि में वाहन किराये से उपलब्ध कराये जाने बावत् निविदायें निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।
- 5- वाहन के साथ 24 घंटे वाहन चालक उपलब्ध कराया जावेगा। वाहन चालक अवकाश पर होने की स्थिति में अन्य वाहन चालक की व्यवस्था का दायित्व संविदाकार का रहेगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उत्पन्न समस्त दावे संविदाकार द्वारा वहन किये जावेंगे। वाहन चालक का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाकर सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। वाहन चालक द्वारा मोबाईल फोन सदैव चालू रखा जावेगा एवं सफल निविदाकर्ता तथा वाहन चालक को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल तथा अन्य अधिकृत अधिकारीगण के निर्देशों का पालन करना होगा।
- 6- संविदाकार द्वारा एयरकंडीशन वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।
- 7- अनुबंधित वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर लाईसेंस, वाहन फिटनेस, कमर्शियल पासिंग सहित समस्त दस्तावेज निविदा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8- वाहन में टूट-फूट, मरम्मत आदि कराये जाने का एवं वाहन को अच्छी कंडीशन में रखने का दायित्व संविदाकार का रहेगा।
- 9- प्रारंभिक स्तर पर वाहन एक वर्ष हेतु किराये पर लिया जाना है एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में उक्त अनुबंध अवधि को प्रभावी नियम-निर्देशों के अधीन प्रतिवर्ष या अधिकतम 03 वर्षों हेतु समान दरों पर बढ़ाया जा सकेगा।

- 10— दिनांक तक वाहन किराये पर लिये जाने हेतु सफल संविदाकार को अमानत राशि के रूप में राशि रुपये 5,000/- एवं सुरक्षा निधि राशि रुपये 25,000/- की डी.डी./एफ.डी.आर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के नाम जमा कराई जानी होगी। जिसे अनुबंध समाप्ति के पश्चात संविदाकार को वापिस कर दिया जावेगा। निविदा दस्तावेज जिला न्यायालय के नजारत अनुभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं। जिस हेतु राशि रुपये 100/- निविदा दस्तावेज मूल्य चालान माध्यम से (हेड 0070-01-800-0000 न्याय प्रशासन अन्य प्राप्तियों) में जमा किये जाकर चालान की प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी होगी।
- 11— निविदा के संबंध में आगामी संशोधन होने की स्थिति में सूचना माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जावेगी। निविदाकर्ताओं से कोई व्यक्तिगत पत्राचार नहीं किया जावेगा।
- 12— किसी कारण से निविदा जमा किये जाने अथवा खोले जाने की तिथि में अवकाश घोषित होने तथा अन्य किसी कारण से कार्यवाही नहीं होने पर आगामी तिथि से निविदाकर्ताओं को अवगत कराया जावेगा।
- 13— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को किसी भी प्रस्ताव को बिना किसी कारण स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 14— निविदाकर्ताओं को निविदा दस्तावेज में मांगी गई समस्त जानकारी स्पष्ट रूप से भरा जाना एवं निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज में किसी प्रकार की कांटा-छांट मान्य नहीं होगी।
- 15— निविदा स्वीकृत होने के पश्चात सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में निविदाकर्ता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।
- 16— प्रत्येक निविदाकर्ता को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा जिसे वे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी संयुक्त फर्म के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक पक्षकार द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 17— सफल निविदाकर्ता को निविदा दिये जाने की सूचना कार्य आदेश द्वारा दी जावेगी। तदोपरांत निविदाकर्ता को जिला न्यायालय में उपस्थित होकर अनुबंध निष्पादित करना होगा। जिसका समस्त व्यय निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

- 18— सफल निविदाकर्ता के देयकों का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा संधारित लॉग बुक में इंड्राज जानकारी के अनुसार किया जावेगा। वाहन चालक को प्रत्येक दिवस में चलाये गये वाहन की जानकारी एवं भरवाये गये पेट्रोल/डीजल /सीएनजी/की जानकारी रसीद सहित लॉग बुक में दर्ज की जाकर प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा। देयक का भुगतान प्रत्येक माह के अंत में किया जावेगा। निविदाकार के देयका का भुगतान शासकीय हेड में उपलब्ध बजट की स्थिति पर निर्भर होगा। भुगतान में विलंब की स्थिति में निविदाकार द्वारा जिला न्यायालय से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जावेगी।
- 19— निविदा में सबसे न्यूनतम राशि की प्रस्तुत निवादा को स्वीकार किया जावेगा।
- 20— निविदा प्रक्रिया में तकनीकी निविदा में योग्य निविदाकर्ता की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
- 21— निविदाकर्ता को प्रत्येक माह में राशि रुपये 6,000/- का पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी. स्वयं के व्यय पर भरवाया जाना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी माह उक्त राशि से कम व्यय होगा तो उसे आगामी माह में होने वाले पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी. व्यय में जोड़ा जावेगा।
- 22— निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय भोपाल से उनके दूरभाष नंबर 0755-2764397 पर संपर्क किया जा सकता है।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल म.प्र.।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय नाम